अभ्रक खान श्रम कल्याण संस्थान के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

247. श्री शंकर सिंह बाघेला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक खान श्रम कल्याण संस्था करमा (बिहार) केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से संबद्ध है और इस के कर्मचारियों और मजदूरों के बच्चों के लिए नियुक्त 26 शिक्षकों के वेतनमान दूसरे, तीसरे और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अभी तक संशोधित नहीं किए गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्च न्यायालय की रांची पीठ ने अपने आदेश सी० डब्ल्यू० जे० सी० 1325/82 दिनांक 27 अक्तूबर 1983 में आदेश दिया था कि इन शिक्षकों को चार महीने के भीतर भुगतान कर दिया जाए और उच्चतम न्यायालय ने भी विशेष याचिका संख्या 12816/85 द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर 1987 को आदेश दिया था कि इन शिक्षकों का वेतन तुरन्त निर्धारित किया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी अब तक की कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन करमा (बिहार) में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत दूसरे, तीसरे और चौथे वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया था ।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालय, पटना, रांची पीठ ने शिक्षकों की याचिका संख्या सी डब्ल्यू जे सी 1325/82 को दिनांक 27-1-1983 को सरकारी काउंसेल के इस आश्वासन पर निपटा दिया कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में व्यस्त थी, लेकिन यह भी कहा कि शिक्षकों की शिकायतों को चार महीनों की अवधि के भीतर दूर कर दिया जाए । फरवरी, 1983 में शिक्षकों के वेतनमानों को 260-400 रु० से 290-560 रु० का वेतनमान करके संशोधित कर दिया था । वर्ष 1983 में शिक्षकों ने उच्च न्यायालय, पटना (रांची पीठ) में एक अन्य याचिका दायर की थी । उच्च न्यायालय ने इस याचिका को वर्ष 1985 में रद्द कर दिया था । उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरोध में शिक्षकों ने 1985 में उच्चतम न्यायालय में एक विशेष इजाजत याचिका (एस०एल०पी० 12816/85) दायर की थी । उच्चतम न्यायालय ने विशष इजाजत याचिका को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उनके मामलों में वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है ।

Engagement of Snamprogetti as consultant for Private Sector Fertilizer Projects

2472. SHRI T. R. BALU;
SHRI V. GOPALSAMY;

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the four new private sector fertiliser projects had chosen Snamprogetti as their private consultant ignoring Government's recommendations; and

(b) if so what are Ihe reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b) Govt. has not made any recommendations fo the promoters of the four new private sector